न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—310/2024/225 आर.टी.एक्ट (2024/310)

1. विश्राम पुत्र रूपा जाति जाट निवासी कटसूरा तहसील अरांई जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, अंराई जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अंराई अजमेर विरूद्ध निर्णय दिनांक 12.07.2024 राजस्व वाद संख्या 33/2024 उनवानी विश्राम बनाम सरकार में पारित किया।

उपस्थितः—

1. श्री आशीष जैन अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री विकास पराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 01

निर्णय

दिनांकः— 29.01.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, अंराई जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 33/2024 में पारित आदेश दिनांक 12.07.2024 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अप्रार्थी/रेस्पोडेंट राज्य सरकार के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अंराई के समक्ष प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी/रेस्पोडेंट को जरिए नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार अंराई से मौका रिपोर्ट दिनांक 21.6.2024 को तलब की गई एवं अपने आदेश दिनांक 12.7.2024 के द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज करने का आदेश पारित कर दिया। अतः अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, अंराई जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 33/2024 में पारित आदेश दिनांक 12.07.2024 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी, अंराई द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.7.2024 की सूचना अपीलांट के अभिभाषक ने अपीलांट को नहीं दी गई अपीलांट को उक्त आदेश की जानकारी हाल ही में पटवारी हल्का द्वारा गांव में बताने पर हुई जिस पर प्रार्थी दिनांक 6.10.2024 को अंराई जाकर मालूमात करने पर आदेश की जानकारी हुई जिस पर आदेश की नकल हेतु दिनांक 6.

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

10.2024 को प्राप्त हुई तत्पश्चात प्रार्थी अपने गांव गया और फीस आदि की व्यवस्था कर अपने वकील साहब से संपर्क कर अपील तैयार करवाकर बिना किसी विलंब के आज न्यायालय के समक्ष पेश की जा रही है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को खारिज किया जाना न्यायोचित है।

6. हमने अभिभाषक उभयपक्षों द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर कि गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है।

न्यायिक दृष्टांत आर0आर0टी0 2002(1) के अनुसार परिसीमा अधिनियम 1963– धारा–5 विलम्ब का उपशमन–विलम्ब, उपशमन के प्रश्न पर विचार करते समय सर्वप्रथम न्यायालय को मामले के गुणावगुण पर विचार करना चाहिए–यदि मेरिट पर मामला अच्छा है तो विलम्ब माफ कर दिया जाना चाहिए।

प्रार्थी द्वारा धारा 5 में किए गए कथन सदभाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत होते हैं। उक्त अपील के प्रस्तुतीकरण में हुई देरी को क्षमा किया जाकर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करने से प्रार्थी का धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना उचित समझते हैं। *अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।*

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि उक्त आराजी में अपीलांट की खातेदारी की आराजी खसरा नं0 3373/2288 रकबा 1.4886 हैक्टर है जिसमें अपीलांट के आने जाने के लिए एंव कृषि यंत्र अपने मवेशियों अपनी फसल की निराई, गुडाई उपयोग व उपभोग एंव कृषि हेतु मजदूर एंव स्वयं के आने जाने के लिये अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है केवल मात्र खसरा नं0 2096 रकबा 1.7151 हैक्टर किस्म हाडोलाई है जो राजकीय भूमि है रेस्पोडेंट भूमिधारी होने से एंव राज्य सरकार के स्वामित्व होने से राजकीय भूमि के लिये सार्वजनिक रास्ता घोषित अथवा प्राप्त करने के लिये अपीलांट ने आवेदन पेश किया था किन्तु उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपीलांट का आवेदन पत्र खारीज किया है। अपीलांट अपने पूर्वाधिकारों के समय से कदीमी रूप से राजकीय भूमि खसरा नं० 2096 की भूमि से उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर आता जाता है जो नक्शा ट्रेस से लालरंग से ए से बी दर्शित किया गया है इसी रास्ते का अपीलांट अपनी आराजी में आने जाने हेतु उपयोग उपभोग अथवा काम में लिया जा रहा है। अपीलांट सदभाविक काश्तकार है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 5 (24) के तहत काश्तकार की श्रेणी में है जो काश्तकार अपनी जोत तक पंहुचने के लिये राज्य सरकार द्वारा संशोधन करके एक काश्तकार को अपनी जोत तक पंहुचने के लिये 30 फीट के रास्ता का प्रावधान किया गया है जिससे वह

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

कृषि कार्य कर सके। उक्त अंकित रास्ता सरल, लघुतम एंव निर्विवाद है चूंकि राजकीय भूमि में से किसी अन्य काश्तकारों को भी कोई अडचन व व्यवधान उत्पन्न नहीं होता है। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 14.6.2013 को क्रमांक प. 3 (52) राज–6/12/4 को परिपत्र जारी किया गया है जिसमें निर्धारित किया गया कि राजकीय भूमि पर सार्वजनिक रास्ता निकालने के सबंध में परिपत्र जारी किया गया है कि यदि कोई खातेदार को अपनी जोत तक पंहुचने के लिये कोई रास्ता नहीं है तो खातेदार राजकीय भूमि से होकर अपनी जोत तक पंहुच सकता है खातेदार द्वारा अपनी जोत तक आने जाने के लिये रास्ता चाहा जा रहा है। उक्त समस्या के समाधान के लिये निर्णय लिया गया है यदि कोई खातेदार अपनी जोत तक पंहुचने के लिये राजकीय भूमि में से होकर नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौडा करना चाहता है तो ऐसे खातेदार द्वारा ऐसी सुविधा के लिये आवेदन करने पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा जांच करने पर यह समाधान हो जाये कि मार्ग की आवश्यकता है एंव खातेदार को उसकी जोत तक पंहुचने के लिये वैकल्पिक साधन का अभाव है उक्त स्थिति मे राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उपनियम 1 के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गयी कृषि भूमि दरों का दुगुना प्रतिकर लिया जाकर रास्ता प्रदत्त की गयी भूमि राजस्व रेकार्ड में रास्ते के रूप मे अभिलिखित की जाचेगी एंव उक्त भूमि का प्रयोग सार्वजनिक होगा। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 29.9.2014 को क्रमांकः प. 2 (63) राज–9/2014 को परिपत्र जारी किया गया कि खातेदार को अपनी जोत तक पंहुचने के लिये कोई रास्ता नहीं है और राजकीय भूमि में से ही होकर अपनी जोत तक पंहुच सकता है ऐसी स्थिति मे खातेदार द्वारा अपनी जोत का संपरिवर्तन चाहे जाने पर उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड में हाडोलाई दर्ज होने के कारण सपंरिवर्तन नहीं किया जा सकता है ऐसे प्रकरणो मे अपीलांट द्वारा जितनी सरकारी (हाडोलाई) में दर्ज चाही गयी है जिसके बदले डीएलसी रेट के अनुसार निर्धारित मूल्य रेस्पोडेंट के राजकीय खाते में देने के लिये तैयार है। इस प्रकार अपीलांट के पास अन्य कोई सरलतम, निकटतम, लघुतम रास्ता नहीं है केवल मात्र खसरां नं० 2096 राजकीय भूमि है जिससे अपीलांट कदमी रूप से आते जाते रहे है अन्य कोई सुलभ सरलतम व लघुत्तम व वैकल्पिक रास्ता नहीं है अपीलांट के लिए उक्त रास्ता आवश्यक है। अतः मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, अंराई जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 33/2024 में पारित आदेश दिनांक 12.07.2024 को निरस्त किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

8. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने दौराने अपील जवाब/बहस में कथन किया कि दिनांक 21.6.2024 को तहसीलदार अंराई की रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें तहसीलदार अंराई द्वारा जाहिर किया कि वर्तमान सेग्रीकेशन जमाबंदी के अनुसार ग्राम कटसूरा के खसरा संख्या 3373/2288 रकबा 1.4886 है0 प्रार्थी के नाम दर्ज है उक्त खसरे के निकट ही खसरा संख्ख्या 2096 रकबा 1.7151 है0 किस्म हाडोलाई स्थित है इसके अतिरिक्त अन्य कोई निकटतम रास्ता नहीं है। खसरा संख्या 2096 में से 10 मीटर का रास्ता दिए जाने पर अधिग्रहित रकबा 0.0100 है0 बनता है जिसकी निर्वापित राशि 833135/– के अनुसार 8332 रूपए बनती है। भू0अ0नि0 कटसूरा तथा पटवारी हल्का द्वारा नजरी नक्शा पत्रावली में पेश किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह वर्णित किया कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी आराजी में कृषि कार्य हेतु आवागमन के लिए रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251 ए खारिज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार

Scanned with CamScanner

की प्रक्रियात्मक व विधिक त्रुटि नहीं है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को यथावत रखा जाए व अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

9. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। सर्वप्रथम अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 24.5.2024 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अधिवक्ता वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी जरिए सम्मन द्वारा की गई। दिनांक 31.5.2024 को तहसीलदार अंराई के नोटिस तामील प्राप्त होकर शामिल मिसल किया गया। दिनांक 12.7.2024 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध चौसाला जमाबंदी 2072–2075 ग्राम कटसूरा, तहसील अंराई के खसरा संख्या 3373/2288 रकबा 1.4886 किस्म बंजर 2 जो कि वर्तमान खातेदार प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजीयात में दर्ज है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में खसरा संख्या 2096 रकबा 1.7151 किस्म हाडोलाई में से अपनी उक्त आराजीयात में आने जाने के लिए रास्ता मांगा गया है। जो कि राजकीय भूमि/सिवायचक खाते में दर्ज है। दिनांक 7.6.2024 को भूअभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी खसरा नम्बर 3378/2288 रकबा 1.4886 का एकल खातेदार है। उक्त खसरा नम्बर 3378/2288 व राज्य राजमार्ग 7ई & 101 खसरा नम्बर 1247, 1245 के एक सिवायचक खसरा नम्बर 2096 रकबा 1.7151 है0 किस्म हाडोलाई स्थित है। उक्त खसरा नम्बर में से ही प्रार्थी अपने खसरा नम्बर 3373/2288 में आवागमन करता है। ग्राम कटसूरा के खसरा नम्बर 2096 की चौडाई 10 मीटर है। चूंकि उक्त खसरा नम्बर 2096 सार्वजनिक उपयोग/उपभोग के लिए नियत है तथा प्रार्थी आदिनांक तक उसी खसरे का उपयोग अपनी आराजीयात में आने जाने के लिए करता आ रहा है व प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में 30 फीट रास्ते की मांग की गई है जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत बिना किसी विशेष परिस्थिति के दिया जाना उचित नहीं है। चूंकि उक्त प्रकरण के संबंध में भी यही प्रतीत होता है कि प्रार्थी बिना किसी बाधा के अपनी आराजीयात में आ जा रहा है क्यों कि उक्त रास्ते को बंद नहीं किया गया है ना ही प्रार्थी को किसी प्रकार की असुविधा का सामना करना पड रहा है। अतः प्रार्थी को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता का अभाव नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय विधिसम्मत है जिसमें किसी प्रकार की विधिक व न्यायिक त्रुटि नहीं होने से हाजा न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

10. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, अंराई जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 33/2024 में पारित आदेश दिनांक 12.07.2024 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
(रामचन्द्र)
अजमेर
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner

11. निर्णय आज दिनांक 29.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुने इजलास सुनाया गया ।

29/01/2025

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner